न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी–देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

रैफरेन्स प्रा0पत्र सं0 02/2023

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) बैजूपाडा
.......प्रार्थी

बनाम

1. रामचरण पुत्र भौंरयानाथ जाति जोगी निवासी रानापाडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा
2. अनिल कुमार पुत्र रामजीलाल जाति ब्राह्मण निवासी मानपुर तहसील सिकराय जिला दौसा
3. जगदीश पुत्र शिवलाल जाति जोगी निवासी रानापाडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा
4. प्रहलाद पुत्र शिवलाल जाति जोगी निवासी रानापाडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा
5. मगन पुत्र रामसिंह जाति जोगी निवासी रानापाडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा
6. सन्तरा बाई पुत्री रामसिंह पत्नि चेतराम जाति जोगी निवासी रानापाडा हाल निवासी करणपुर तहसील महवा जिला दौसा
7. केसा देवी पत्नि स्व0 रामसिंह पत्नि चेतराम जाति जोगी निवासी रानापाडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा
8. गुड्डी पुत्री शिवलाल पत्नि कमलेश जाति जोगी निवासी रानापाडा हाल पीलवा तहसील सिकराय जिला दौसा
9. हीरादेवी पुत्री शिवलाल पत्नि कल्याणसहाय जाति जोगी निवासी रानापाडा हाल गगवाना तहसील महवा
10. खल्या देवी पत्नि रामेश्वर जाति माली निवासी रानापाडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा

....अप्रार्थीगण

रैफरेन्स अंतर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956
सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित–1. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता
2. श्री विश्राम दयाल प्रजापति, अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1
3. श्री राजेन्द्र प्रसाद मीना, अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 व 10

<u>निर्णय</u> दिनांकः 10.03.2026

1. संक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र रैफरेन्स इस प्रकार है। कि तहसीलदार बैजूपाडा ने ग्राम रानापाडा के साबिक खसरा नंबर 256 हाल खसरा नंबर 126, 131 से 134 कुल रकबा 1.88 है. जो कि एकीकरण खतौनी संवत 2002 से 2022 में माफी मंदिर श्री दाउजी महाराज वाके ग्राम मानपुर बहतमाम पुजारी रामजीलाल वल्द सुवालाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से रैफरेन्स हेतु निवेदन किया है।

2. प्रार्थना पत्र रैफरेन्स दर्ज रजिस्टर कियागया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:36:55 IST
Reason: SelfAttested

3. राजकीय अधिवक्ता ने तहसीलदार ... बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम रानापाडा तहसील बैजूपाडा की मिसल हकियत बंदोबस्ती संवत 1984 मौजा रामा रानापाडा तहसील सिकराय निजामत दौसा राज सवाई जयपुर नं0 हदबस्त 51 खतौनी 55 में खसरा नंबर 256 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा भूमि मंदिर श्री ठाकुरजी वाके मानपुर पुजारी सुवालाल वल्द सिद्धनाथ जाति ब्राह्मण साकिन मानपुर के नाम दर्ज चली आ

जिला कलेक्टर,दौसा

रही है व ग्राम रानापाडा तहसील बैजूपाडा की की खतौनी बंदोबस्त संवम 2002 से 2022 में पर्चा नंबर चकबंदी 68 के खसरा नंबर 315 रकबा 7 बीघा, खसरा नंबर 316 रकबा 9 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 07 बीघा 9 बिस्वा भूमि के अनुसार माफी मंदिर श्री दाउजी महाराज वाके मानपुर बहतमाम पुजारी रामजीलाल वल्द सुवालाल कौम ब्राह्मण साकिन मानपुर के नाम दर्ज रिकार्ड है। ग्राम रानापाडा की जमाबंदी खतौनी संवत 2011 से 2014 में खाता नंबर 125 के खसरा नंबर 315 रकबा 7 बीघा, खसरा नंबर 316 रकबा 09 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा की खातेदारी माफी मंदिर श्री दाउजी महाराज वाके मानपुर पुजारी रामजीलाल पुत्र सुवालाल कौम ब्राह्मण साकिन मानपुर के खुदकाश्त खातेदार की भूमि रही है। ग्राम रानापाडा की जमाबंदी खतौनी संवत 2014 के खाता नंबर 15/125 के खसरा नंबर 315 रकबा 7 बीघा, खसरा नंबर 316 रकबा 09 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा भूमि माफी मंदिर श्री दाउजी वाके पुजारी रामजीलाल पुत्र सुवालाल कौम ब्राह्मण साकिन मानपुर के खुदकाश्त खातेदार की भूमि रही है। ग्राम रानापाडा की भूमि एकीकरण खतौनी संवत 2017 के खाता सं0 72 के अनुसार माफी मंदिर श्री दाउजी पुजारी रामजीलाल पुत्र सुवालाल ब्राह्मण साकिन मानपुर के नये खसरा नंबर 110 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा कुल किता 1 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा भूमि माफी मंदिर श्री दाउजी महाराज के नाम रही है। ग्राम रानापाडा की जमाबंदी संवत 2019 से 2022 के खाता सं. 113 व खतौनी सं0 71 के अनुसार खसरा नंबर 110 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा की खातेदारी माफी मंदिर श्री दाउजी महाराज साकिन मानपुर पुजारी रामजीलाल पुत्र सुवालाल कौम ब्राह्मण साकिन देह खुदकाश्त की भूमि रही है। ग्राम रानापाडा की जमाबंदी खेवट खतौनी संवत 2023 के खाता सं0 104 के खसरा नंबर 110 रकबा 07 बीघा 9 बिस्वा में राजस्व अधिकारी व कर्मचारियों व पटवारी हल्का ने बिना कोई विधिक अधिकार का कानूनी आदेश के माफी मंदिर श्री दाउजी महाराज की भूमि से नाम हजफ कर भूमि पुजारी रामजीलाल पुत्र सुवालाल कौम ब्राह्मण साकिन मानपुर के नाम कर दी गई है जिसका कोई विधिक अधिकार नहीं था व कानूनन गलत है कि माफी मंदिर श्री दाउजी महाराज जो कि शाश्वत नाबालिग है, के हितों की रक्षा करने का दायित्व सरकार का है, की भूमि का बिना कोई अधिकार के किसी दूसरे व्यक्ति के नाम दर्ज रिकार्ड कर दी गई जो गलत है। जिस भूमि को माफी मंदिर श्री दाउजी महाराज के नाम किया जाना आवश्यक है। पुजारी रामजीलाल पुत्र सुवालाल के नाम गलत खातेदारी संवत 2023 व 2024 की आड में पुजारी रामजीलाल के फौत होने के बाद उसके वारिसान पुत्रान बैकुण्ठनाथ, अनिल कुमार, सुरेन्द्र कुमार व पत्नि लाडा देवी ने अपने नाम नामान्तरण खुलवाकर उक्त माफी मंदिर की भूमि का गलत खातेदारी की आड में हिस्से 1/2 की भूमि का बेचान मु0 नत्थी देवी जोजे शिवलाल जोगी साकिन रानापाडा को दिनांक 25.11.2006 को बेचाननामा पंजीकृत करा दिया गया जो कि कानूनन गलत है नल एवं वाईड है। उक्त भूमि को माफी मंदिर श्री दाउजी महाराज के नाम करवाया जाना आवश्यक है। भूमि माफी मंदिर श्री दाउजी महाराज की भूमि का गलत बेचान के आधार पर दर्ज खातेदार नत्थी देवी के फौत हो जाने पर उसके वारिसान शिवलाल पुत्र चन्द्रानाथ व अप्रार्थी सं0 3 से 9 ने नामान्तरण अपने नाम खुलवा लिया है जो बेचान करने की फिराक में है, जिन्हें भी पाबन्द करना आवश्यक है और भूमि [illegible] महाराज के नाम दर्ज करवाना आवश्यक है। भूमि माफी मंदिर श्री दाउ[illegible] को भू प्रबंधक विभाग द्वारा हाल बंदोबस्त संवत 2052 से 2071 [illegible] संवत 2017 में उक्त भूमि के साबिक खसरा नंबरान से नये [illegible] दिये गये है। भू2मि एकीकरण संव0म 2017 से पूर्व खसरा नंबर 315 रकबा 7 बीघा, [illegible] नंबर 316 रकबा 9 बिस्वा रहे है तथा भूमि एकीकरण के बाद खसरा नंबर 110 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा बना है। हाल सैटलमेंट

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:36:55 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संवत 2052 से 2071 में खसरा नंबर 110 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा के नये खसरा नंबर 126, 131 से 134 बने है। रैफरेन्स प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पूर्व से ही ग्राम रानापाडा तहसील बसवा हाल नवीन तहसील बैजूपाडा में स्थित है जो तहसील बैजूपाडा की राजस्व सीमा में आती है। प्रार्थना पत्र रैफरेन्स में वादग्रस्त भूमि राजस्ढव ग्राम रानापाडा की सीमा में स्थित हाल नये खसरा नंबर 126, 131 से 134 कुल किता 5 रकबा 1.88है. माफी मंदिर श्री दाउजी महाराज की भूमि है परन्तु उक्त भूमि को राजस्व कर्मचारियों ने गलती से विधि विरूद्ध बिना किसी अधिकार के पुजारी के नाम खातेदारी में दर्ज कर दिया है तथा भूमि का बेचान अप्रार्थी सं0 3 से 9 की माता व दादी नत्थी देवी को विधि विरूद्ध कर दिया व हाल बेचान भी अप्रार्थी सं0 10 को विधि विरूद्ध कर दिया व शेष भूमि को भी अप्रार्थी सं0 2 बेचान करने परन उतारू है, जिसे दुरूस्त किया जावे तथा पुजारी व अप्रार्थी सं0 2 से 10 का नाम खातेदारी से हजफ किया जाकर पुनः माफी मंदिर श्री दाउजी महाराज विराजमान साकिन देह मानपुर के नाम खातेदारी दर्ज किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। माफी मंदिर श्री दाउजी महाराज शाश्वत नाबालिग है। माफी मंदिर की भूमि को किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति या पुजारी के नाम खातेदारी में दर्ज नहीं किया जा सकता है, परन्तु उक्त भूमि से माफी मंदिर श्री दाउजी महाराज का नाम हजफ कर दिया गया है एवं पुजारी रामजीलाल पुत्र सुवालाल कौम ब्राह्ूण एवं उसके बाद वारिसान बैकुण्ठनाथ, अनिल कुमार, सुरेन्द्र कुमार पि0 रामजीलाल कौम ब्राह्मण तथा उसके बाद बेचान से अप्रार्थी सं0 3 से 10 के नाम खातेदारी दर्ज कर दी गई है जो गलत है। जबकि पुजारी को उक्त शाश्वत नाबालिग की भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई हक अधिकार उत्पन्न नहीं होते है तथा उसकी रक्षा करने का दायित्व सरकार का है। उक्त भूमि एकीकरण से पूर्व की माफी मंदिर श्री दाउजी महाराज विराजमान साकिन देह मानपुर की खातेदारी में दर्ज चली आ रही है और अप्रार्थी सं0 1 उसमें आस्था रखता चला आ रहा है। अतः रैफरेन्स प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण के नाम खाता सं0 77 की प्रविष्ठि निरस्त कर उक्त वर्णित आराजी की खातेदारी का इन्द्राज माफी मंदिर श्री दाउजी महाराज विराजमान साकिन देह मानपुर के नाम यथावत दर्ज फरमाई जावे।

4. अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 ने उक्त भूमि का रैफरेन्स माननीय राजस्व मंडल को भिजवाने में कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्तकिया।

5. अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 3 व 10 ने बहस में लिखित बहस प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार तहसीलदार बैजूपाडा द्वारा उक्त भूमि का पुराना खातेदारी का रिकार्ड प्रस्तुत किया गया है पर अप्रार्थी को उक्त भूमि की यह जानकारी कभी भी नहीं रही कि उक्त भूमि किस तरह मंदिर माफी की है। अप्रार्थी की जानकारी के अनुसार उक्त भूमि रामजीलाल पुत्र सुवालाल कौम ब्राह्मण साकिन मानपुर की स्वयं की निजी खातेदारी की होना जानकारी में था और जमाबंदी का रिकार्ड भी पुजारी रामजीलाल के वारिसान के नाम से अंकित था। इसलिए उक्त भूमि के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अप्रार्थी सं0 3 की माता के नाम व अप्रार्थी सं0 10 के नाम कराया गया था। अप्रार्थी की जानकारी के अनुसार उक्त भूमि के वर्तमान खसरा नंबर 126, 131 से 134 कुल किता 5 रकबा 1.88है. भूमि की खातेदारी पुजारी रामजीलाल पुत्र सुवालाल के स्वयं की खातेदारी में एकीकरण से पूर्व समय से चली आ रही थी व उनका ही कब्जा चला आ रहा था। पुजारी रामजीलाल की मृत्यु होने पर उसके वारिसान पुत्रान बैकुण्ठनाथ, अनिल कुमार, सुरेन्द्र कुमार की माता लाडा देवी ने अपने नाम नामान्तरण खुलवाकर उक्त खातेदारी भूमि के हिस्सा 1/3 की भूमि का बेचान अप्रार्थी सं0 3 की माता मु. नत्थी देवी पत्नि शिवलाल जोगी सा0 रानापाडा को मंदिर माफी की भूमि होने की जानकारी दिये बिना दिनांक 25.11.2006 को उक्त भूमि का 1,50,000/–रूपये में बेचाननामा पंजीकृत करा दिया गया। उक्तानुसार ही अप्रार्थी सं0 10 को विक्रेता बैकुण्ठनाथ, सुरेन्द्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:36:55 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कुमार ने पिता रामजीलाल पुत्र सुवालाल की विरासत की भूमि बताकर उक्त खातेदारी भूमि के अपने 1/3 हिस्से की भूमि का बेचान अप्रार्थी सं0 10 श्रीमती खल्या देवी को दिनांक 17.5.2023 को 2,67,000/– रूपये में बेचाननामा पंजीकृत करा दिया। इसी प्रकार अनिल कुमार पुत्र रामजीलाल ने भी उक्त भूमि का 3,34,000/– रूपये में पंजीकृत बेचान कर दिया है पर उक्त भूमि के मंदिर माफी के होने के तथ्य को अप्रार्थी से छुपाया गया है। अप्रार्थी सं0 10 के विक्रय पत्र का राजस्व रिकार्ड में इंद्राज नहीं किया गया है। उक्त भूमि खातेदार नत्थी के फोत हो जाने पर उसके वारिस शिवलाल पुत्र चन्दानाथ व अप्रार्थी सं0 3 लगा0 9 ने नामान्तरण अपने नाम खुलवा लिया जो आज भी काबिज काश्तकार है। उक्त वर्णित भूमि पूर्व से ही ग्राम रानापाडा तहसील बसवा जिला दौसा में स्थित है जो तहसील बैजूपाडा की राजस्व सीमा में आती है। प्रार्थना पत्र रैफरेन्स में अंकित वादग्रस्त भूमि राजस्व ग्राम रानापाडा में स्थित है जिसके हाल खसरा नंबर 126, 131 से 134 कुल किता 5 रकबा 1.88है. भूमि माफी मंदिर श्री दाउजी महाराज की भूमि है की जानकारी अप्रार्थीगण 3 की माता व अप्रार्थी सं0 10 को खरीद करते समय नहीं थी। उक्त भूमि राजस्व कर्मचारियों की गलती से विधि विरूद्ध तरीके से बिना किसी अधिकार के पुजारी के नाम खातेदारी में दर्ज कर दी हो तो जानकारी नहीं थी और उक्त भूमि को उक्त पुजारी के वारिसान ने धोखे से अपनी विरासत की भूमि बताकर प्रतिफल राशि अप्रार्थी से प्राप्त कर उक्त भूमि के अपने–2 हिस्से का बेचान अप्रार्थी सं0 3 से 9 की माता व दादी नत्थीदेवी को व अप्रार्थी सं0 10 को कर दिया। अप्रार्थीगण का कोई दोष नहीं है। अप्रार्थीगण मात्र केतागण है जिनको उक्त भूमि के खरीदने से पहले यह जानकारी नहीं थी कि उक्त भूमि माफी मंदिर श्री दाउजी महाराज विराजमान साकिन देह मानपुर के नाम की है। यदि किसी कारणवश पुजारी व अप्रार्थी सं0 2 से 10 का नाम खातेदारी से हजफ किये जाने की कार्यवाही की जाती है तो श्रीमानजी से निवेदन है कि विक्रेतागण की चल व अचल संपत्ति में से अप्रार्थी सं0 3 से 10 को क्रय करते समय दी गई राशि मय ब्याज के वसूल कर अप्रार्थी को दिलवाने की कार्यवाही के आदेश फरमावें ताकि अप्रार्थी के साथ न्याय हो सके।

6. शेष अप्रार्थीगण के बाद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई

7. हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन कियागया। पत्रावली का अवलोकन कियागया। फर्द मुताबिक मौजा रानापाडा तहसील बांदीकुई निजामत दौसा 2003–2022

साबिक		हाल	
खसरा नंबर	रकबा	खसरा नंबर	रकबा
256 256	7बीघा 9 बिस्वा	315 316	7 बीघा 9 बिस्वा

भूमि एकीकरण विभाग का मिलान क्षेत्रफल संवत 2017 ग्राम रानापाडा तहसील बसवा जिला जयपुर की प्रविष्टियां इस प्रकार हैः–

वर्तमान		साबिक	
खसरा नंबर	रकबा	खसरा नंबर	रकबा
110	7 बीघा 9 बिस्वा	315	7 बीघा 9 बिस्वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:36:55 IST
Reason: SelfAttested

भू प्रबंध विभाग का मिलान क्षेत्रफल संवत 2052 ग्राम रानापाडा तहसील बसवा जिला दौसा की प्रविष्टियां इस प्रकार हैः–

वर्तमान		साबिक	
खसरा नंबर	रकबा	खसरा नंबर	रकबा
126	0.59है.	110 मिन	7 बीघा 9 बिस्वा

जिला कलेक्टर,दौसा

131	0.44हे.	110 मिन	
132	0.01है.	110 मिन	
133	0.45है.	110 मिन	
134	0.06 है.	110 मिन	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मिसल हकीयत बंदोबस्ती मौजा रानापाडा तहसील सिकराय निजामत दौसा राज सवाई जयपुर संवत 1984 नंबर हदबस्त 51 की प्रविष्टियां इस प्रकार है:–

नाम थोक व पट्टी मय नाम पटेलान	नाम खातेदार मय वल्दियत व सकूनत	खसरानंबर/रकबा
इनाम मंदर श्री ठाकुरजी वाका मानपुर सुवालाल वल्द सिद्धनाथ कौम ब्राहमन साकिन मानपुर	वनो वल्द फूला कौम जोगी साकिन देह	56/7 बीघा 9 बिस्वा

हमने भूमि एकीकरण विभाग खतौनी बंदोबस्त मौजा रानापाडा तहसील बांदीकुई निजामत दौसा संवत 2002 से 2022 की प्रविष्टियां का अवलोकन किया जो कि इस प्रकार है

नंबर शुमार	नंबर पर्चा चकबन्दी	नाम थोक पट्टी मय नाम पटेल	नाम खातेदार मय वल्दियतकौमियत व सकून	खसरा नंबर	क्षेत्रफल	किस्म
80	68		माफी मंदिर श्री दाउजी वाके मानपुर वअहतमाम पुजारी रामजीलाल वल्द सुवालाल कौम ब्राह्मण साकिन मानपुर	315 316	7 बीघा 9 बिस्वा	बा.अव्वल बारानी डोल

नकल खतौनी ग्राम रानापाडा संवत 2011 से 2014 की प्रविष्टियां में भूमि माफी मंदिर श्री दाउजी वाके मानपुर वअहतमाम पुजारी रामजीलाल पुत्र सुवालाल कौम ब्राह्मण साकिन मानपुर में खुदकाश्त अंकित है।

ग्राम रानापाडा की जमाबंदी संवत 2014 की प्रविष्टियां

खेवट व जमाबंदी की संख्या	भूमि अधिकारी (जागीरदार, उप जागीरदार)और मालगुजार, बिस्वेदार या जमीदार विवरण सहित	नाम कृषक विवरण सहित और कृषि काज	खसरा नंबर	क्षेत्रफल
151/125	माफी मंदिर श्री दाउजी वाके मानपुर बअहतमाम पुजारी रामजीलाल पुत्र सुवालाल कौम ब्राह्मण साकिन मानपुर मुद्दत करीब	खुदकाश्त चांदनाथ पुत्र दल्लानाथ कौम जोगी सा0देह मुद्दत करीब 8 साल उपकृषक	315 316	7 बीघा 14 बिस्वा

खसरा नंबर 110 एकीकरण संवत 2018 में उक्त भूमि जिसका इन्द्राज इस प्रकार है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:36:55 IST
Reason: SelfAttested

नाम भोक्ता, पिता का नाम, जाति व निवासस्थान	नाम उपभोक्ता ... जाति व निवासस्थान	... कृषक, पिता ... निवासस्थान, कृषक व कृषि काल	खसरा/रकबा
माफी मंदिर श्री दाउजी वाके देह मानपुर बअहतमाम पुजारी रामजीलाल पुत्र सुवालाल कौम ब्राह्मण सा0देह	–	–	110/7 बीघा 14 बिस्वा

जिला कलेक्टर,दौसा

जमाबंदी ग्राम रानापाडा संवत 2019 से 2022 में भी काश्तकार के रूप में प्रविष्टि इस प्रकार है:– ''माफी मंदिर श्री दाउजी वाके देह मानपुर बअहतमाम पुजारी रामजीलाल पुत्र सुवालाल कौम ब्राह्मण साकिन देह उपकृषक चन्दानाथ पुत्र दल्लानाथ कौम जोगी सा0देह के रूप में अंकित है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जमाबंदी (खतौनी) ग्राम रानापाडा तहसील बसवा जिला जयपुर की संवत 2023 की प्रविष्टियां इस प्रकार है:–

खेवट खतौनी संख्या		भू धारकों का नाम	काश्तकार का नाम मय पिता का नाम, जाति तथा निवास स्थान के पते सहित एवं भू–घृति का स्वरूप	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मृदा(भूमि) वर्गीकरण
पुरानी	नई					
	104	राज.सरकार	रामजीलाल पुत्र सुवालाल कौम ब्राह्मण सा.मानपुर खातेदार कृषक	110	7 बीघा 14 बिस्वा	बारानी ए बारानी डोल

जमाबंदी (खेवट खतौनी) ग्राम रानापाडा तहसील बसवा जिला जयपुर की संवत 2024 से 2027 की प्रविष्टियां इस प्रकार है:–

क्षेत्रफल व जमाबंदी की संख्या	खतौनी की संख्या	नाम पट्टी थोक व तरफ व नाम नंबरदार तथा कर या राजस्व	भूमि अधिकारी (जागीरदार, उप जागीरदार और मालगुजार बिस्वेदार या जमींदार) विवरण सहित	नाम कृषक विवरण सहित और कृषिकाल	खसरा नंबर	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
	99	राज.सरकार	रामजीलाल पुत्र सुवालाल कौम ब्राह्मण सा.मानपुर खातेदार कृषक	110	7 बीघा 14 बिस्वा	बारानी ए बारानी डोल

8. प्रस्तुत प्रकरण में राजस्थान सरकार का परिपत्र कमांकः राज–6/2007/14 दिनांक 24.5.2007 अवलोकनीय है जिसमें निम्नलिखित अंकित है:–

''राजस्थान सरकार द्वारा परिपत्र दिनांक 13.12.1991 की निरन्तरता में स्पष्ट किया जाता है कि मंदिर मूर्ति शाश्वत अव्यस्क है। अतः इसकी खातेदारी भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते है।''

''जागीरों के अधिग्रहण के समय जो भूमि मंदिर के नाम से जरिये पुजारी खुदकाश्त के रूप में दर्ज थी, उस भूमि पर पुजारी को काश्तकारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। मंदिर मूर्ति निरन्तर अव्यस्क है तथा किसी व्यक्ति के माध्यम से जैसे पुजारी आदि के माध्यम से कार्य कर सकती है। इस भूमि में काश्त दर्ज होने पर काश्तकारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। ऐसे प्रकरणों में जिसमें मंदिर के पुजारियों के नाम भूमि दर्ज है, उनके निरस्तीकरण की कार्यवाही सक्षम न्यायालय में रैफरेन्स की कार्यवाही की जावे।''

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:36:55 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

"मंदिरों को माफी की भूमि जागीर के रूप में दी गई थी तथा राज0 भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 के प्रभावी होने पर जागीरों के पुर्नग्रहण के साथ–साथ ऐसी भूमियों का निस्तारण इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया जिसके अनुसार जो भूमि जागीरों के पुर्नग्रहण के समय किसी व्यक्ति के पास पट्टेदार या अन्य किसी नाम से दर्ज थी, उस भूमि को जागीर अधिग्रहण के समय उस व्यक्ति के नाम निरन्तर दर्ज करते हुए खातेदारी निरन्तर बनाये रखने के अधिकार प्रदान किये गये है। विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 13.12.1991 के अनुसरण में ऐसी भूमियों को वापिस मंदिर के नाम दर्ज किया जा रहा है, उचित नहीं है।"

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

"ऐसी भूमि के संबंध में जो माफी मंदिर की थी के संबंध में राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 में प्रावधान कियागया है। इस अधिनियम के प्रभावी होने के समय जो व्यक्ति राजस्व रिकार्ड में पट्टेदार, खादिमदार, या अन्य किसी नाम से दर्ज थे वे निरन्तर खातेदार बने रहेंगे। धारा 9 निम्न प्रकार है:–
" जागीर भूमियों में खातेदारी अधिकार–जागीर भूमि के प्रत्येक काश्तकार को जो इस अधिनियम के प्रारंभ के समय राजस्व अभिलेखों में एक खातेदार, पट्टेदार, खादिमदार के रूपमें या अन्य रूप में जिसमें यह अर्न्तनिहित हो कि काश्तकार को
काश्तकारी में आनुवांशिक और पूर्ण अन्तरण के अधिकार प्राप्त है, दर्ज है, ऐसे अधिकार प्राप्त रहेंगे और वह ऐसी भूमि के संबंध में खातेदार काश्तकार कहलायेगा।"

9. राजस्थान सरकार का परिपत्र कमांकः राज–6/2007/14 दिनांक 24.5.2007 जिसमें अंकित किया गया है कि ऐसी भूमि के संबंध में जो माफी मंदिर की थी के संबंध में राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 में प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के प्रभावी होने के समय जो व्यक्ति राजस्व रिकार्ड में पट्टेदार, खादिमदार, या अन्य किसी नाम से दर्ज थे वे निरन्तर खातेदार बने रहेंगे।
10. राजस्थान सरकार का परिपत्र कमांकः राज–6/2007/14 दिनांक 24.5.2007 जिसमें अंकित किया गया है कि जागीरों के अधिग्रहण के समय जो भूमि मंदिर के नाम से जरिये पुजारी खुदकाश्त के रूप में दर्ज थी, उस भूमि में किसी भी अन्य व्यक्ति को काश्तकारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। मंदिर मूर्ति निरन्तर अव्यस्क व अन्य किसी व्यक्ति के माध्यम से जैसे पुजारी आदि के माध्यम से कार्य कर सकता है। इनके नाम से काश्त दर्ज होने पर काश्तकारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। ऐसे प्रकरणों में जिसमें मंदिर के पुजारियों के नाम भूमि दर्ज है, उनके निरस्तीकरण की कार्यवाही सक्षम न्यायालय में रैफरेन्स की कार्यवाही की जावे।
11. प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों एवं साक्ष्यों के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि जो वर्तमान में खसरा नंबर 126, 131, 132, 133, 134 कुल रकबा 1.88 है. मूल रूप से मंदिर श्री दाउजी महाराज के नाम माफी मंदिर के रूप में दर्ज रही है। नकल खतौनी ग्राम रानापाडा संवत 2011 से 2014 की प्रविष्टियों में भूमि माफी मंदिर श्री दाउजी वाके मानपुर बअहतमाम पुजारी रामजीलाल पुत्र सुवालाल कौम ब्राह्मण साकिन मानपुर में खुदकाश्त अंकित है।
12. राजस्व अधिकारियों द्वारा संवत 2023 में बिना किसी आधार के उक्त भूमि को मंदिर के नाम से हटाकर पुजारी रामजीलाल के नाम व्यक्तिगत खातेदारी में दर्ज किया गया जो पूर्णतः विधि विरूद्ध है। ।
13. चूंकि मूर्ति एक शाश्वत नाबालिग (Perpetual Minor) होती है और मंदिर की भूमि पुजारी की निजी संपत्ति नहीं हो सकती। अतः पुजारी द्वारा किया गया भूमि का बेचान शून्य (Null and Void) माना जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:36:55 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर,दौसा

14. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण रैफरेन्स योग्य पाया जाता है। तहसीलदार बैजूपाडा को आदेशित किया जाता है कि प्रश्नगत आराजी का रैफरेन्स राजस्व मंडल में प्रस्तुत करें। संबंधित पक्षकारान को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 30.4.2026 को माननीय राजस्व मंडल, अजमेर में उपस्थित होवें। साथ ही तहसीलदार बैजूपाडा को निर्देश भी दिये जाते हैं कि विवादित आराजी पर रैफरेन्स का नोट जमाबंदी में अंकन करवाना सुनिश्चित करे।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 10 मार्च, 2026 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:36:55 IST
Reason: SelfAttested